

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-569/ग्यारह-9(107)/07-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(74)-2011
लखनऊ: दिनांक: 23 मई, 2011

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-122/ग्यारह-9(107)/07-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(53)-2010 दिनांक 19 जनवरी, 2010 में,-

(1) हिन्दी पाठ में,-

- (क) पृष्ठ संख्या-2 पर स्तम्भ-एक में नियम 4 के उपनियम (1) की अन्तिम पंक्ति में अंकित शब्द "कर निर्धारण को" के स्थान पर शब्द " **कर निर्धारण प्राधिकारी को**" पढ़ा जाय।
- (ख) पृष्ठ संख्या-2 स्तम्भ-दो में नियम 4 के उपनियम (3) में तीसरे प्रस्तर की चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "व विवरणी" के स्थान पर शब्द " **वार्षिक विवरणी**" पढ़ा जाय।
- (ग) पृष्ठ संख्या-3 स्तम्भ-दो में नियम 4 के उपनियम (4) की दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द "जोकर" के स्थान पर शब्द " **जो कर**" पढ़ा जाय।

(2) अंग्रेजी पाठ में,-

- (क) पृष्ठ संख्या-34 पर स्तम्भ-दो में नियम 4 के उपनियम (4) के खण्ड (iii) के प्रथम पैरा के अन्त में नीचे से दूसरी पंक्ति में अंकित शब्द "refun" के स्थान पर शब्द " **refund**" पढ़ा जाय।
- (ख) पृष्ठ संख्या-41 पर Schedule A Existing Form-C की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द "mo thly/quarterly" के स्थान पर शब्द " **monthly/quarterly**" पढ़ा जाय।
- (ग) पृष्ठ संख्या-56 पर Schedule B Form-E में Declaration शीर्षक के अन्तर्गत चौथी पंक्ति में अंकित शब्द "best on my knowledge" के स्थान पर शब्द " **best of my knowledge**" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,

(चन्द्रभानु)
सचिव।